न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वाद संख्या 94/2017

श्री बाबूलाल उम्र 75 साल पुत्र श्री नाथा जी जाति रेगर निवासी ग्राम लाखीना तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

————वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा राज0

———प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 28.2.18

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम मसूदा तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 4224 रकबा 10–04–00 किस्म बारानी.3 स्थित है, राज्य सरकार जरिये श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी ब्यावर ने उपरोक्त सरकारी (अनओकूपाईड) कृषि भूमि को वादी के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दिनांक 16.03.1975 को आवंटित किया गया तथा उसका आवंटन आदेश दिनांक 16.03.1975 को वादी के पक्ष में जारी किया गया तथा मौके पर 10 बीघा अर्थात 4000 वर्गगज भूमि का कब्जा भी वादी को मौके पर संभला दिया गया। उक्त 10 बीघा भूमि आवंटित वादी के ही कब्जे में बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है, तथा वादी अकेले का ही उपरोक्त आराजी पर हक, कब्जा, काश्त, हित अधिकार, स्वत्व आधिपत्य उपयोग उपभोग अनवरत रूप से सभी की पूर्ण व पर्याप्त जानकारी में चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात वादी द्धारा समय समय पर उपरोक्त आराजी में काफी समय, श्रम व लाखो रूपयो की धनराशि व्यय कर उक्त आराजी को समतल करवाकर तथा उसे काश्त योग्य बनाकर तथा उसमें उच्च किस्म के खाद बीज डालकर काश्त योग्य बनाया। तथा समय समय पर फसले आदि काटकर अपने तथा अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि बंजर व राज्य सरकार के नाम अंकित चली आ रही है। तथा वादी का आवंटन से पिछने 47 साल से कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वादी का गिरदावरीयो में भी अंकन चला आ रहा है। वादी को प्रतिवादी के अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचारी दिनांक 17.07.2017 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने के लिये आमादा हुये किन्तु वादी के भारी विरोध करने के कारण सफल नही हो सके तथा वादी ने उपरोक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतू निवेदन किया किन्तु वे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया इसलिये इस वाद की आवश्कता उत्पन्न हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को विवादित भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया किन्तु प्रतिवादी ने इस न्यायालय में कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में कथन किया कि वादी द्धारा प्रस्तुत वाद को ही साक्ष्य मानी जावे।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई वादी वकील ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजी साक्ष्यो को दोहराते हुये वाद वादी के हक में स्वीकार किये जाने का कथन किया।

.....लगातार

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी ने अपने वाद पत्र में कथनो अनुसार आवेदन पत्र सब डिवीजनल ऑफिसर महोदय, ब्यावर ने विवादित भूमि में से 10 बीघा भूमि को दिनांक 16.03.1975 के द्वारा वादी के हक में 10 वर्ष के लिए आवंटित करने का आदेश दिया जाना पाया गया। खसरा परिवर्तनशील में विवादित भूमि पर वादी बाबू का नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील संवत 2036, 2040, में विवादित भूमि पर बाबू का कब्जा होने तथा ज्वार की फसल काश्त होना पाया गया। तथा छायाचित्र अनुसार वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त व फसल को टैक्टर द्वारा बोना पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मसूदा तहसील मसूदा स्थित खसरा नंबर 4224/2 में रकबा 10 बीघा भूमि जो वादी के कब्जे काश्त उपयोग में चली आ रही है, उसे आवंटन एवं नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की अभिशंषा की जाती है। आवंटन एवं नियमन कमेटी नियमानुसार आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.2.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:47:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: